जनपद गाजियाबाद प्रेस नोट दिनाँक 23-05-21

दि0 06.05.21 को थाना लोनी बोर्डर क्षेत्रान्तर्गत हुई हत्या में वाछिंत एक अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से एक चाकू नाजायज वरामद, 03 अभियुक्तो को पूर्व में किया जा चुका है गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण:

श्री गुलशाद पुत्र नवी खान मेवाती चौक वेहटा हाजीपुर थाना लोनी वार्डर गाजियाबाद जेड कार्गो ट्रेम्पो ट्रांसपोर्ट कं0 मंडोली दिल्ली ने अपनी कम्पनी में कार्यरत हैल्पर **सन्नी पुत्र मुकेश निवासी गांव वडावत थाना विनोली जिला बागपत** की बलरामनगर चौराहे पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दिनांक 06.05.21 को चाकू मारकर हत्या करने के सम्बन्ध में एक तहरीर थाना लोनी बोर्डर पर दी गई थी। तहरीर पर तत्काल थाना लोनी बोर्डर पर मु0अ0सं0 299/21 धारा 302/201 भादवि पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस उप-महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,गाजियबाद द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी लोनी को निर्देशित किया गया था। आदेश-निर्देशो के अनुक्रम में प्रभारी निरीक्षक लोनी बोर्डर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था।

गठित टीम द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही/प्रकाश में आये अभियुक्त नादिर उर्फ भूरा पुत्र नदीम उर्फ मामा नि0 लक्ष्मी हाल के पीछे प्रेमनगर थाना लोनी जनपद गाजियाबाद को दिनाँक 23.05.2021 को बन्द फाटक बेहटा हाजीपुर से मय नाजायाज चाकू के गिरफ्तार किया गया है। उक्त अभियोग में 03 अभियुक्तो को दिनाँक 22.05.21 को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1- नादिर उर्फ भूरा पुत्र नदीम उर्फ मामा नि0 लक्ष्मी हाल के पीछे प्रेमनगर थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी

एक नाजायज चाकू

अभियुक्त नादिर उर्फ भूरा का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0स0 299/2021 धारा 302/201/393/34 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा0बाद।

2.मु0अ0सं0 383/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना लोनी बोर्डर गा0बाद।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1-प्रभारी निरीक्षक श्री मदनपाल सिंह थाना लोनी बार्डर।

2- उ0नि0 श्री राघवेन्द्र सिंह तौमर थाना लोनी बोर्डर गा0बाद।

4. उ0नि0 श्री आर्यवीर सिहं थाना लोनी बोर्डर गा0बाद।

5. है0का0 1566 राजीव थाना लोनी बोर्डर गा0बाद

दिनांक 23.04.2021 थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद।

थाना लोनी बोर्डर पुलिस ने दो अभियुक्तगणो को किया गिरफ्तार । कब्जे से 300 ग्राम एल्प्राजोलम पाउडर नाजायज वरामद ।

श्रीमान् उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री अमित पाठक के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान थाना लोनी बार्डर पुलिस द्वारा आज दिनांक 23.04.2021 को समय करीब 08.10 बजे चैकिंग के दौरान पुराने MCD टोल के पास गली से चौकी सेवाधाम क्षेत्र से दो अभियुक्तगण 1. साहिल पुत्र सफीकउल्ला निवासी म0नं0 356 ,गली नं0 7,राजीव नगर,थाना हर्ष विहार,दिल्ली 93 (2) रिजवान पुत्र सफीकउल्ला निवासी म0नं0 356 ,गली नं0 7,राजीव नगर,थाना हर्ष विहार,दिल्ली 93 को 300 ग्राम एल्प्राजोलम पाउडर नाजायज के गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

1. साहिल पुत्र सफीकउल्ला निवासी म0नं0 356 ,गली नं0 7,राजीव नगर,थाना हर्ष विहार,दिल्ली 93
2. रिजवान पुत्र सफीकउल्ला निवासी म0नं0 356 ,गली नं0 7,राजीव नगर,थाना हर्ष विहार,दिल्ली 93

अभियुक्त साहिल का आपराधिक इतिहासः-

1- मु0अ0सं0 384/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद।

अभियुक्त रिजवान का आपराधिक इतिहासः-

1- मु0अ0सं0 385/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद।

<u>अभियुक्त साहिल से बरामद का विवरण-</u>

145 ग्राम एल्प्राजोलम पाउडर नाजायज।

<u>अभियुक्त रिजवान से बरामद का विवरण-</u>

155 ग्राम एल्प्राजोलम पाउडर नाजायज।

<u>थाना टीलामोड़ पुलिस टीम लूट के अभियोग में वाछिंत शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूट के 8120/- रु नगद, चोरी की मोटरसिकिल एंव नाजायाज चाकू बरामद, अभियुक्त के विरुद्ध सीमावर्ती राज्य दिल्ली व जनपद गाजियाबाद में दर्ज है दो दर्जन अभियोग।</u>

श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान मे श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय के निर्देशन में ,श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एंव प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व मे थाना टीला मोड पुलिस द्वारा एक अभियुक्त शाहरुख उर्फ शक्ति पुत्र सगीर निवासी निकट हेता डेयरी लक्ष्मण गार्डन थाना टीला मोड गा0बाद मूल पता आबदा नगर थाना खुर्जा देहात जिला बुलन्दशहर को दिनाँक 22.05.21 को रात्रि 23:45 बजे करीब थाना क्षेत्र टीला मोड से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त शाहरुख उपरोक्त के कब्जे से थाना टीला मोड पर पंजीकृत मु0अ0स0 65/21 धारा 392/411 भादवि से सम्बन्धित लूट के 8120रू0 नगद, एक चोरी की मो0सा0 न0 ग्लैमर रजि0न0 DL5SBL3406 सम्बन्धित ई एफआईआर न0- 47/21 ई-पुलिस स्टेशन क्राईम ब्रांच दिल्ली व एक अदद चाकू नाजायज बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-</u>

शाहरुख उर्फ शक्ति पुत्र सगीर निवासी निकट हेता डेयरी लक्ष्मण गार्डन थाना टीला मोड गा0बाद मूल पता आबदा नगर थाना खुर्जा देहात जिला बुलन्दशहर

<u>बरामदगी का विवरण</u> -

(1) एक अदद मोटर साईकिल रजि0 नं0, DL5SBL3406 चोरी की

(2) एक अदद चाकू नाजायज

(3) लूट की घटना से सम्बन्धित 8120 रू0 नगद

<u>अपराधिक इतिहास अभियुक्त</u>

1. मु0अ0स0 199/21 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व 504/506 भादवि थाना टीला मोड गा0बाद
2. मु0अ0स0 216/20 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना टीला मोड गा0बाद
3. मु0अ0स0 65/21 धारा 392/411 भादवि थाना टीला मोड गा0बाद
4. मु0अ0स0 251/21 धारा 411/414 भादवि थाना टीला मोड गा0बाद

5. मु0अ0स0 252/21 धारा 4/25 a act थाना टीला मोड गा0बाद
6. मु0अ0स0 7465/16 धारा 379/411/34 भादवि ई-पुलिस स्टेशन दिल्ली
7. मु0अ0स0 8/16 धारा 379/411/34 भादवि ई-पुलिस स्टेशन दिल्ली
8. मु0अ0स0 13ए/16 धारा 41.1डी/102 सीआरपीसी थाना सीमापुरी दिल्ली
9. मु0अ0स0 667/19 धारा 392/34 भादवि थाना खजूरी खास दिल्ली
10. मु0अ0स0 606/17 धारा 392 भादवि थाना खजूरी खास दिल्ली
11. मु0अ0स0 73/17 धारा 394/34 भादवि थाना खजूरी खास दिल्ली
12. मु0अ0स0 36927/17 धारा 379 भादवि थाना भजनपुरा दिल्ली
13. मु0अ0स0 737/17 धारा 25/54/59 आर्म एक्ट खजूरी खास दिल्ली
14. मु0अ0स0 389/18 धारा 379/411/34 भादवि थाना सुभाष प्लेस दिल्ली
15. मु0अ0स0 606/17 धारा 392/34 भादवि थाना खजूरी खास दिल्ली
16.मु0अ0स0 940/18 धारा 380 भादवि थाना न्यु उस्मान पुर दिल्ली
17. मु0अ0स0 7465/16 धारा 379 भादवि थाना सीमा पुरी दिल्ली
18. मु0अ0स0 08/16 धारा 379 भादवि थाना करावल नगर दिल्ली
19. मु0अ0स0 737/17 धारा 25/54/59 आर्म एक्ट थाना खजूरी खास दिल्ली
20. मु0अ0स0 259/19 धारा 3/25 आर्म एक्ट थाना लोनी बोर्डर गा0बाद
21. मु0अ0स0 258/19 धारा 307 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा0बाद
22. मु0अ0स0 252/19 धारा 379/411 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा0बाद

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा जिला बदर अपराधी नशीला पदार्थ एल्प्राजोलम सहित गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा रोकथाम अपराध एवं धरपकड जिलाबदर अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय मोदीनगर के निर्देशन व थानाध्यक्ष के कुशल नेतृत्व मे थाना भोजपुर पुलिस द्वारा दौराने गस्त चैकिंग ग्राम त्यौडी 13 के कब्रिस्तान के पास से एक जिला बदर अभियुक्त फिरोज पुत्र मीरसैन नि0 त्यौडी 13 बिस्वा थाना भोजपुर गा0बाद को दिनांक 22.05.2021 को समय 20.35 बजे पकड लिया। जिसके पास से 200 ग्राम एल्प्राजोलम (नशीला पाउडर) पदार्थ प्राप्त हुआ। जिस सम्बन्ध मे सुसंगत धाराओ मे अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरणः-

फिरोज पुत्र मीरसैन नि0 त्यौडी 13 बिस्वा थाना भोजपुर गा0बाद।

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 246/20 धारा 354,323,504,506 भादवि. थाना भोजपुर, गा0बाद,
2. मु0अ0सं0 305/19 धारा 147,148,149,323,307,452,504 भादवि. थाना भोजपुर,
3. मु0अ0सं0 निल/20 धारा ¾ गुण्डा अधि0 थाना भोजपुर, गा0बाद
4. मु0अ0सं0 250/21 धारा 8/21 NDPS ACT. थाना भोजपुर, गा0बाद,
5. मु0अ0सं0 251/21 धारा 3/10 गुण्डा अधि0 थाना भोजपुर, गा0बाद,

बरामदगी का विवरण

200 ग्राम एल्प्राजोलम पाऊडर

थाना मसूरी पुलिस द्वारा वाछिंत अभियुक्तो की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री अमित कुमार पाठक द्वारा अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डा0 श्री ईरज राजा के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री कमलेश नारायण पाण्डेय के पर्यवेक्षण में दि0 23.05.2021 को प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र प्रताप सिंह थाना मसूरी गा0बाद व उनकी टीम को उस समय सफलता मिली जब धोखाधडी मे वांछित अभियुक्त पवन पुत्र ओमकिरण सिंह निवासी सपनावत शिव मंदिर के पास थाना धौलाना जिला हापुड को समय लगभग 13.00 बजे गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- प्रमोद कुमार पुत्र स्व० श्री गणेशी दास उम्र लगभग 47 वर्ष हाल निवासी के0 4 न्यू टी0एच0डी0सी0 कालोनी बाईपास रोड ऋषिकेश थाना कोतवाली जिला देहरादून (उत्तराखंड) ने अपनी तहरीरी सूचना से कि अभियुक्तगण (1) के० पी ० सिंह रघुवंशी पुत्र नामालूम निवासी 11/112, राजनगर, जिला गाजियाबाद (2) पवन कुमार पुत्र स्व० ओम करन सिंह निवासी ग्राम सपनावत तहसील व थाना धौलाना, जिला हापुड़ (3) जयपाल सिंह पुत्र मवासी निवासी ग्राम इंदरगढ़ी, तहसील सदर, जिला गाजियाबाद अभि0गण द्वारा प्लाट के पूर्व में ही गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त प्लाट के अधिकृत होने की पूर्ण जानकारी होने के बावजूद भी जानबूझकर आपस में खेत मालिक जयपाल सिंह उपरोक्त से साज करके प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी के साथ धोखाधडी कर बैनामा में स्टाम्प शुल्क लेना तथा रुपये मांगने पर प्रार्थी व उसकी पत्नि से गाली गलौच करना व जान से मारने की धमकी देना के सम्बन्ध मे दिनांक 09.12.20 को थाना हाजा पर मु0अ0सं0 643/20 धारा 420/467/468/471/504/506 भादवि पंजीकृत कराया गया।

दिनांक 23.05.2021 को उक्त अभियोग मे नामजद/वांछितअभि0 पवन पुत्र ओमकिरण सिंह उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण -

(1) पवन पुत्र ओमकिरण सिंह निवासी सपनावत शिव मंदिर के पास थाना धौलाना जिला हापुड

पंजीकृत अभियोग

(1) मु0अ0स0 643/20 धारा 420/467/468/471/504/506 भादवि थाना मसूरी गाजियाबाद

थाना कविनगर पुलिस द्वारा अवैध अस्लाह सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक पिस्टल देशी .32 बोर, 02 जिन्दा कारतूस .32 बोर व 01 तमंचा 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर नाजायज व 01 कार बरामद

श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा अवैध अस्लाह रखने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर व प्रभारी निरीक्षक कविनगर पुलिस के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा आज दिनांक 23.05.21 को डायमण्ड फ्लाई ओवर के नीचे थाना कविनगर क्षेत्र से चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त गण (1) नैतिक शर्मा उर्फ साहिल पुत्र धर्मचन्द्र भट्ट निवासी म0नं0 एफ/4 महेन्द्रा एन्कलेव शास्त्रीनगर थाना कविनगर गाजियाबाद व (2) प्रथम जाटव पुत्र राजेन्द्र निवासी बी 201 बागवाली कालोनी बाल्मिकी मंदिर के पास थाना कविनगर गाजियाबाद को कार नं0 DL3CBC 8240 के गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त नैतिक शर्मा उर्फ साहिल उपरोक्त के कब्जे से एक पिस्टल देशी .32 बोर व अभियुक्त प्रथम जाटव उपरोक्त के कब्जे से 1 तमंचा .315 बोर व 1 जिन्दा कारतूस .315 बोर नाजायज बरामद हुआ अभियुक्त गण उपरोक्त के विरुद्ध थाना कविनगर पर क्रमश मु0अ0सं0 820/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 821/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त गण शातिर किस्म के अपराधी है, जो अपने साथ अवैध अस्लाह रखते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

(1) नैतिक शर्मा उर्फ साहिल पुत्र धर्मचन्द्र भट्ट निवासी म0नं0 एफ/4 महेन्द्रा एन्कलेव शास्त्रीनगर थाना कविनगर गाजियाबाद

(2) प्रथम जाटव पुत्र राजेन्द्र निवासी बी 201 बागवाली कालोनी बाल्मिकी मंदिर के पास थाना कविनगर गाजियाबाद

<u>बरामदगी का विवरण -</u>

01 पिस्टल .32 बोर देशी व 02 जिन्दा कारतूस .32 बोर नाजायज।

04 तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर नाजायज।

01 कार नं0 DL3CBC 8240

<u>अभियुक्त गण का आपराधित इतिहास-</u>

1-मु0अ0सं0 820/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद बनाम नैतिक शर्मा

2-मु0अ0सं0 820/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद बनाम प्रथम

#GhaziabadPolice- *थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा घर से इधर-उधर चली गई 02 वर्षीय बच्ची को सकुशल बरामद करने के सम्बन्ध मे* ।

आज दिनांक 23.05.2021 को थाना कोतवाली पर सूचना मिली कि अमन कॉलोनी से एक बच्ची उम्र करीब 2 वर्ष, घर से समय करीब 12:00 बजे इधर-उधर चली गई है, इस सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये अमन कॉलोनी व आसपास की सभी मस्जिदों में बच्ची को खोजने हेतु लाउड स्पीकर के माध्यम से ऐलान कराया और आसपास के सभी मोहल्लों में गंभीरता से तलाश की गई तो उपरोक्त बच्ची गली नंबर 04 इस्लामनगर से मिल गई जिसे परिजनों के सुपुर्द किया गया। बच्ची के मिलने के बाद परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई तथा परिजनो द्वारा पुलिस का आभार व्यक्त किया गया।

साइबर सेल गाजियाबाद एवं थाना-कविनगर पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही के दौरान फर्जी आईडी पर सिम खरीदकर, बैंक खाता खुलवाने तथा स्वयं को प्रतिष्ठित कम्पनी का एम.डी. /मैनेजर बताकर,उ न्ही की मिलती जुलती मेल आई डी बनाकर, बैंक मैनेजरो को मेल भेजकर अपने फर्जी अकाउन्टो में पैसे डलवा कर ठगी करने वाले गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार ।

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक /वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्तो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम, श्रीमान क्षेत्राधिकारी साइबर सेल /कविनगर के कुशल निर्देशन में साइबर सेल व कविनगर पुलिस द्वारा दिनांक 23/05/2021 को 02 शातिर अभियुक्तगणो 1 अरूण कुमार फौजी उर्फ रवि पुत्र गजेन्द्र सिंह निवासी न्यू विकास नगर पीपल का पेड़ लोनी गाजियाबाद हाल पता एफ 207 ओक्सी हॉम्स टीलामोड़ गाजियाबाद 2 तरूण शर्मा उर्फ गुडडू पुत्र अशोक शर्मा पता बी 54 गली न0 3 न्यू उस्मानपुर पहला पुस्ता दिल्ली को ए.एल.टी. कट के सामने हापुड़ चुंगी से राजनगर रोड से गिरफ्तार किया गया है ।

बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना कविनगर पर मु0अ0सं0 822/2021 धारा 406/420/34 भादवि व 66डी आई.टी.एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध कारित करने का तरीखाः- अभियुक्तगणो द्वारा अपने फरार साथियो के साथ मिलकर इंटरनेट से डाटा प्राप्त कर फर्जी आईडी पर सिम खरीदकर तथा बैंक खाता खुलवाकर, फर्जी मेल आई डी तैयार कर स्वयं को बड़ी कम्पनी का एम.डी. / मैनेजर बताकर , उन्ही की मिलती जुलती मेल आई डी बनाकर बैंक मैनेजरो को मेल भेजकर अपने फर्जी अकाउन्टो में पैसे डलवा कर ठगी करते है।

नाम पर गिरफ्तारी अभियुक्तगण का विवरणः-

1- अरूण कुमार फौजी उर्फ रवि पुत्र गजेन्द्र सिंह निवासी न्यू विकास नगर पीपल का पेड़ लोनी गाजियाबाद हाल पता एफ 207 ओक्सी हॉम्स टीलामोड़ गाजियाबाद
2- तरूण शर्मा उर्फ गुडडू पुत्र अशोक शर्मा पता बी 54 गली न0 3 न्यू उस्मानपुर पहला पुस्ता दिल्ली

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अरुण कुमार फौजी उपरोक्त-

(1) मु0अ0सं0 822/21 धारा 419/420/406/34 भादवि व 66डी आईटी एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद।
(2) मु0अ0सं0 1374/18 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली मथुरा।
(3) मु0अ0सं0 1020/18 धारा 420/467/468/471/120बी/201/34 भादवि थाना कोतवाली मथुरा।
(4) मु0अ0सं0 1375/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली मथुरा।
(5) मु0अ0सं0 851/16 धारा 420/120बी भादवि थाना सिटी फतेहाबाद हरियाणा।
(6) मु0अ0सं0 10/17 धारा 419/420/120बी भादवि थाना कोतवाली गाजियाबाद।
(7) मु0अ0सं0 74/18 धारा 420/468/471/120बी भादवि थाना मधुबिहार दिल्ली ।
(8) मु0अ0सं0 33/19 धारा 379/411 भादवि थाना मायापुरी दिल्ली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त तरुण शर्मा उर्फ गुड्डू उपरोक्त-

(1) मु0अ0सं0 822/21 धारा 419/420/406/34 भादवि व 66डी आईटी एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद।
(2) मु0अ0सं0 102/19 धारा 420/34 भादवि थाना गांधीनगर दिल्ली।

बरामदगी का विवरणः

(1) 02- मोबाइल फोन,
(2) 09 चैक बुक,
(3) 08- एटीएम कार्ड,
(4) 01 कार पोलो

जैसा निर्धारित किया गया हो) दिये जाने का प्राविधान है :-
(1)
1. वीरगति को प्राप्त मामलों में।
रु० 10,00,000/-
रु० 6,00,000/-
3. लड़की की शादी हेतु प्रदान की जाने वाली सहायता राशि
जिनकी विवाह के समय आयु 18 वर्ष से कम न हो)
रु० 2,00,000/-
(2)
वर्तमान धनराशि
1. 9 से 12 तक।
रु० 9,000/-
2. बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी/बी.टी.सी/बी.एड./एल.एल.बी.।
रु० 25,000/-
रु० 36,000/-
4. पी.एच.डी./एल.एल.डी. तथा एम. फिल.।
75,000/-
(3)
1. आई.टी.आई सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम